उलझ जाएंगी। कोई राज्य सरकार किस प्रकार और किस अधिकार के तहत समग्र भारत में क्रियान्वित की जा रही केन्द्र सरकार की किसी योजना के क्रियान्वयन के बारे में दिशा-निर्देश तैयार कर सकती है? और वह भी तब, जबकि वह केन्द्र सरकार द्वारा नियत दिशा-निर्देश तैयार कर सकती है? और वह भी तब, जबकि वह केन्द्र सरकार द्वारा नियत दिशा-निर्देश के विपरीत हो? यह अत्यंत आपत्तिजनक है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि इन दिशा-निर्देशों को जारी करने से पूर्व भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से सहमति नहीं ली गई।

राज्य सरकार ने विकास निधि के तहत संस्तुत योजनाओं के क्रियान्वयन, सत्यापन एवं निगरानी के लिए जिलाधिकारी के बजाय जिला योजना पदाधिकारी को नामित किया है। जिला योजना पदाधिकारी सांसद द्वारा संस्तुत योजनाओं को क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित करेगा। पुनः वे विभाग योजना की व्यवहारिकता का अध्ययन करेंगे और यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि योजना व्यवहारिक नहीं है, तो वे उसे अस्वीकृत कर देंगे। यह घोर आपत्तिजनक है। सांसद द्वारा अनुशंसित योजना के बारे में अंतिम निर्णय का अधिकार बिहार सरकार के विभाग के पास रहेगा, तो सांसद की भूमिका क्या रहेगी?

श्रीमन्, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसमें हस्तक्षेप करे, ताकि इस लोक महत्वकारी योजना के सुचारु क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके तथा इस योजना में सांसदों की भूमिका और उनके अधिकार का संरक्षण हो सके। धन्यवाद।

SHRI PRAMOD KUREEL (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Shri Rajniti Prasad. Thank you.

SHRI SYED AZEEZ PASHA (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by Shri Rajniti Prasad. Thank you.

Concern over China's encroachment of borders and need to strengthen the country's defence system

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (झारखंड): महोदय, चीन भारत को कुछ न कुछ धमकी देता हा रहा है। चीन की वायु सेना और पैदल सैनिकों द्वारा सीमाओं का अतिक्रमण होता ही रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जहां कहीं भारत का कोई हित हुआ, चीन उसमें रोड़ा अटकाता रहता है। वायु सेना और थल सेना, दोनों के अध्यक्षों ने अलग-अलग तरीके से कई बार चीन को इस ओर ध्यान दिलाया है, पर इसका चीन पर कोई असर नहीं हुआ है। एशिया में सुरक्षा का वातावरण बना रहे, इसलिए भारत अन्य पड़ोसी देशों से शांतिपूर्ण संबंध रखना चाहता है और वह हमारे आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है। वास्तविकता यह है कि चीन भारत को हर दिशा से घेर रहा है। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका आदि में इसकी गतिविधियां और कार्यक्रम इस बात के प्रमाण हैं। कहीं फिर 1962 जैसी

स्थिति न बन जाए और भारत को बहुत बड़ी कीमत न चुकानी पड़े, इसलिए मैं गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमें सुरक्षा अधिक मजबूत बनानी चाहिए ताकि चीन के अतिक्रमण से भारत को 1962 जैसी कीमत न चुकानी पड़े। धन्यवाद।

श्री रुद्रनारायण पाणि (ओडिशा): सर, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी (गुजरात): सर, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड): सर, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री कांजीभाई पटेल (गुजरात): सर, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री नतुजी हालाजी ठाकोर (गुजरात): सर, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार (गुजरात): सर, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

Need to regulate the prices of seeds by way of incorporating appropriate provisions in the proposed Seed Bill

SHRI SYED AZEEZ PASHA (Andhra Pradesh): Sir, there is grave anxiety amongst the farming community all over India that the prices of seeds have become so high that farmers might have to declare a 'crop holiday', simply because they are unable to afford the high prices of seeds.

Therefore, apart from the necessity of strict regulation for quality, supply, the time is, now, ripe to have regulation on sale price of seeds also. Although cotton and other seeds have been incorporated in the Essential Commodities Act, there is only one Control Order, called, the Seed Control Order, 1983, under the said Act. Consequently, there is no law in force to regulate the prices of seeds. The resultant effect of this is that seed companies can have their own astronomical prices of the seeds, causing grave unjustified burden on the farming community. Hence, it is necessary to amend the 'Objects' of the Seed Bill, 2004, to incorporate after the words supply 'the sale price of seed', so that it enables to incorporate appropriate clauses in the body of the Bill.

If the Government does not take steps to regulate the prices and MNCs like the Monsanto are left free to price their products at unreasonably high and unaffordable levels, there can be hazardous consequences in the areas of agriculture, healthcare and food impacting entire population.

Hence, I demand the Government to regulate the prices of the seeds by way of incorporating the additional clauses in the proposed Seed Bill.